न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर

UPBP010023732022

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1136 / 2022
सी0एन0आर0 संख्या–**UPBP010023732022**
(रजिस्टर संख्या–667 / 2022)
मोनू प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

02.11.2022

निस्तारण नियमित जमानत प्रार्थनापत्र

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी / अभियुक्त मोनू की ओर से अपराध संख्या–211 / 2022 अन्तर्गत धारा–457, 380, 411 भा0दं0सं0 थाना–तुलसीपुर जिला–बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 09.09.2022 को प्रथम सूचनादाता / पंचायत सहायक निकतन नाज ने ग्राम पंचायत गनवरिया में स्थित अपने कार्यालय को बन्द किया था तथा प्रतिदिन की भॉति दिनांक 10.09.2022 की सुबह 10 बजे जब कार्यालय पहुंची तो देखा कि कुंजी टूटी है, दरवाजा खुला है तथा कार्यालय से दो सिलिंग फैन एंकर, एक सिलिंग फैन पोलर, एक कम्प्यूटर मानीटर, एक सी0पी0यू0 लिनेवो, एक यू0पी0एस0 साइबर पावर, एक प्रिन्टर एपसन, एक माउस, एक लैपटाप चार्जर, एक टूल्लू पम्प क्राम्पटन, एक इन्वर्टर, एक बैटरी एवं कैमरा 04 मय सेट गायब थे। उसने ग्राम प्रधान मो0नसीम खां व अन्य गांव के लोगों को घटना की सूचना दी तथा चोरों के बारे में जानकारी करते हुए गायब सामान की तलाश करने लगे। दिनांक 11.09.2022 को प्रातः 08 बजे जब ग्राम प्रधान व गांव के अन्य लोग पंचायत भवन पर बातचीत कर रहे थे कि गांव के शहजाद ने आकर बताया कि दो व्यक्ति सज्जाद के धान के खेत से गत्ते में पैक कुछ चीज उठा रहे है। इस पर प्रथम सूचनादाता, ग्राम प्रधान नसीम खां, गांव के अरविन्द, जमा खां, मसी एवं शहजात के साथ तत्काल सज्जाद के धान के खेत की तरफ आये तो देखे कि दो व्यक्ति धान के खेत से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति अपने सिर पर दो गत्ते रखे हुए है तथा दूसरा अपने दोनों हाथों में सीलिंग फैन लिए हुए है। जैसे ही उक्त दोनों व्यक्तियों ने उन्हें देखा तो सामान फेंककर भागने लगे, जिन्हें शक होने पर घेरकर धान के खेत में ही पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः मोनू एवं इकरार मोहम्मद बताया तथा धान के खेत में उनके द्वारा फेंके गए सामान तीन सीलिंग फैन, एक सी0पी0यू0, एक यू0पी0एस0, एक प्रिन्टर, एक लैपटाप चार्जर, एक मानीटर, एक माउस, एक एक टूल्लू पम्प बरामद हुए तथा इन्वर्टर, बैटरी व कैमरा मय सेट बरामद नहीं हुए। अभियुक्तगण द्वारा अपराध संस्वीकृति करते हुए उक्त बरामद सामान को दिनांक 09 / 10.09.2022 की रात्रि में पंचायत भवन गनवरिया के कार्यालय से दरवाजे की कुन्दी तोड़कर चोरी करके धान के खेत में छिपाए जाने का तथ्य प्रकट किया गया। उक्त अभियुक्तगण को बरामद सामान सहित थाना–तुलसीपुर लाया गया तथा प्रथम सूचनादाता द्वारा उक्त आशय का प्रार्थनापत्र दिए जाने के आधार पर नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचनोपरान्त धारा–457, 380, 411 भा0दं0सं0 के अपराध में आरोपपत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत का मुख्य आधार यह लिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को स्थानीय थाना की पुलिस ने घर से पकड़कर लाकर उक्त अपराध में शामिल कर दिया है। प्रार्थी ने कोई चोरी नहीं किया है। कथित बरामदगी फर्जी व बनावटी है। कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी की कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

Digitally signed by LALLU SINGH
Date: 2022.11.03 12:31:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.09.2022 से जिला कारागार, बलरामपुर में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचनोपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रकरण के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मोनू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1136/2022, सम्बन्धित अपराध सं0–211/2022 अन्तर्गत धारा–457, 380, 411 भा0दं0सं0 थाना–तुसलीपुर जिला–बलरामपुर, स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को रूपये 50,000/– का व्यक्तिगत बन्धपत्र, इसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर प्रकरण में दौरान विचारण जमानत पर छोड़ा जाए :–

1. प्रार्थी जमानत पर रिहा होने के उपरान्त वर्णित अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,
2. प्रार्थी साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा,
3. प्रार्थी पलायित नहीं करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

(लल्लू सिंह)
सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।